



नवीन संबद्धता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2552/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/06/17

PRINCIPAL / DIRECTOR  
RAJA BHOJ SHIKSHA MAHAVIDYALAYA, PLOT NO. 26 VILLAGE JAMTHI,  
BETUL 460001 MADHYA PRADESH

विषय:- बी0एस-सी0बी0एड0 सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 182250 दिनांक: 17-03-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 16.05.2017 को जारी सूची

क्रमांक: 47

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 (निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन दिनांक 03.06.2017 को प्राप्त हुआ) में की गई अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- महाविद्यालय को दिनांक 01/07/2017 तक परिनियम 28 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की उपलब्धता संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. बी0एस-सी0बी0एड0 (वार वर्षीय) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष  
शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनिश्चय क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनिश्चय क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

पु0क्रमांक 2553/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रतिलिपि:-

उप-कुलसचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक 16/06/17

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग स.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/भोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।



उप-कुलसचिव, अकादमी



नवीन संबद्धता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2529/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 14-6-17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR  
SHRI BALAJI SHIKSHA MAHAVIDYALAYA, PLOT NO-3, STREET: WARD  
NO-1, VILLAGE: AMLA, POST OFFICE AMLA, TEHSIL AMLA, DISTRICT-  
BETUL- 460551, MADHYA PRADESH

विषय:- बी0एड0 सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 1849/17 दिनांक: 04-05-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 596.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है

:-

1. बी0एड0 (दो वर्षीय) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियाँ तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

सहा-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 14-6-17

पृ0क्रमांक 2530/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।



सहा-कुलसचिव, अकादमी



778

नवीन संबद्धता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2492/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक

09-06-2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR  
RAM KRISHNA COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION,  
PLOT NO. - 21/1, LAND TITLE-RESIDENTIAL, VILLAGE - BETUL, POST  
OFFICE-BETUL, TEHSIL-BETUL,  
DISTRICT-BETUL- 460001 MADHYA PRADESH

विषय:- बी0एस-सी0बी0एड0 सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 184678 दिनांक: 01-05-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक:600.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है

:-

1. बी0एस-सी बी0एड0 (चार वर्षीय) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्र.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कस्वाए जाने वाले गिराईश में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



पृ0क्रमांक 2493/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन-भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

रक्ष-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक

09-06-2017

सहा-कुलसचिव, अकादमी



778

नवीन संबद्धता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12.6.17

क्रमांक २५११/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR  
RAM KRISHNA COLLEGE OF PROFESSIONAL EDUCATION,  
PLOT NO. - 21/1, LAND TITLE-RESIDENTIAL, VILLAGE - BETUL, POST  
OFFICE-BETUL, TEHSIL-BETUL,  
DISTRICT-BETUL- 460001 MADHYA PRADESH

विषय:- बी0एड0 सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 184678 दिनांक: 01-05-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 600.

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है

:-

1. बी0एड0 (दो वर्षीय) 50 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचयन क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 12.6.17

पू०क्रमांक २५११/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र., शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



सहा. कुलसचिव, अकादमी



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13-6-2017

क्रमांक २५१५/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR  
PT. DWARIKADAS MAHAVIDYALAYA AATNER, BETUL 460110  
MADHYA PRADESH

विषय:- बी०ए-सी०बी०एड० सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 185583 दिनांक: 05-05-2017.  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 16-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 77

महोदय,  
विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है

1. बी०ए-सी०बी०एड० (चार वर्षीय) 100 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

- शर्त:-
1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
  2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
  3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एक्जंटेन्ट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
  4. शारीरिक विकास की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
  5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
  6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
  7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
  9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक  
13-6-2017

पृष्ठ क्रमांक २५१६/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय रातपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपराज्य उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।



सहा. कुलसचिव, अकादमी



नवीन संबद्धता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2541/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 14/06/17

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR  
Gurusahab Education College, Plot No.-35/8/2, Village - Sonpure, P.O.  
Chicholi, Betul 460330 MADHYA PRADESH

विषय:- बी0एड0 सत्र 2017-18 की अस्थाई संबद्धता.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 184115 दिनांक: 24-04-2017.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 12.05.2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 626

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 09.06.2017 (निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2017 को प्रस्तुत किया गया) में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- महाविद्यालय को दिनांक 01/07/2017 तक परिचय 28 के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की उपलब्धता संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. बी0एड0 (दो वर्षीय) 100 छात्र संख्या प्रथम वर्ष

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की अस्थाई संबद्धता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निदेश की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कर्वाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशाचारा,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 14/06/17

प्र0क्रमांक 2542/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।



सहा-कुलसचिव, अकादमी

765

नवीन संबद्धता  
सत्र 2017-18



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8/6/17

क्रमांक 1488/अकादमी/संबद्धता/17

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR  
N.R. INSTITUTE D.E.D. COLLEGE (765)  
RUN BY SHRI MAHAVIR SHIKSHA EVAM JANKALYAN SAMITY  
KHASRA NO. 552/5, LAND TITLE : PATWARI HALKA NO. -54  
PLOT NO. 0.607 HE, STREET BETUL ROAD,  
VILLAGE MANDVI, POST OFFICE : MANDVI, TEHSIL: ATHNER,  
CITY BETUL, DISTRICT BETUL-460110 (M.P.)

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक: 181539 दिनांक: 07-03-2017

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक: 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रदत्त अस्थाई संबद्धता सत्र 2017-18 में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 (100 दो यूनिट ) छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. चयनित प्राचार्य/शिक्षकों के वेतन भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरूप करना होगा एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।



आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

निरंतर - 2

# N R Institute Deed college, Mandvi - Betul.

भोपाल, दिनांक 8/6/17

पृ०कमांक 2489/अकादमी/संबद्धता/17

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालक सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी ब.उ.वि.वि. भोपाल ।

सहा-कुलसचिव, अकादमी